न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)
अपील संख्या : 34 / 2023
तारीख रजू : 15.09.2023
निर्णय दिनांक : 22.10.2024

उनवान

1. सुमन पुत्री स्व. महीपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़।

– अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

– असल रेस्पोडेन्ट

2. उम्मेदसिंह पुत्र स्व. महीपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. सत्यवीरसिंह पुत्र स्व. महीपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़।

तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राजस्थान दिनांक 25.05.1989 नामान्तकरण विरासत संख्या 89 ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना विरासत मृतक महीपालसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी गूगलकोटा तहसील बहरोड जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड बमुराद मंसूखी उक्त आज्ञा एवं स्वीकार किये जाने अपील अपीलाण्ट व दीगर दादरसीं।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

01. श्री पवन सिंह चौहान एड.– वकील अपीलान्ट
02. पैरोकार सरकार
03. श्री योगेश्वर प्रकाश एड.– रेस्पोडेन्टस संख्या 02 और 03

–:: निर्णय ::–

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 15.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि आलोच्य आज्ञा नायब तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राजस्थान दिनांक 25–05–1989 नामान्तकरण विरासत संख्या 89 ग्राम गूगलकोटा तहसील बहरोड हाल नीमराना जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक महीपालसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील बहरोड हाल नीमराना जिला अलवर राजस्थान में वर्णित आराजी वाके ग्राम गूगलकोटा तहसील बहरोड हाल नीमराना जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के पिता श्री महीपालसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील बहरोड हाल नीमराना जिला अलवर राजस्थान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के पिता श्री महीपालसिंह का स्वर्गवास हो गया। जिनकी विरासत का आलोच्य नामान्तकरण संख्या 89 दिनांक 25–05–1989 को नायब तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राजस्थान असल रैस्पाडैन्ट द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया हैं। यह कि मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम" सुमन पुत्री श्री महीपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील बहरोड हाल नीमराना जिला अलवर राजस्थान" हैं, तथा मिन अपीलान्ट के पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में भी मिन अपीलान्ट का नाम" सुमन पुत्री श्री महीपालसिंह" अंकित हैं। लेकिन आलोच्य आज्ञा जेर बहस अपील में असल रैस्पाडेन्ट द्वाराबिना वारिसान के सही नाम की जांच किये, मिन अपीलान्ट कानाम" सुमन पुत्री श्री देवीसिंह" दर्ज कर दिया गया हैं, जो किकानूनन गलत हैं, क्योंकि मिन अपीलान्ट के पिता का नाम

जिला कलेक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

महीपालसिंह" हैं," देवीसिंह" नही हैं, "देवीसिंह" मिन अपीलान्ट के दादा का नाम हैं। जिस गलत अंकन की जानकारी मिन अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर हुई हैं। इसलिए अपीलाधीन आज्ञा को संशोधित कर उसमें दर्ज मिन अपीलान्ट का नाम" सुमन पुत्री श्री देवीसिंह" को कलमजन कर उसके स्थान पर मिन अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमन पुत्री श्री महीपालसिंह" दर्ज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। अपीलाधीन आज्ञा के कायम रहने से अपीलान्ट के अधिकारो पर विपरीत असर पडता हैं। और अपीलान्ट को उक्त आराजी पर ऋण व पटटा आदि जारी कराने में परेशानियों को सामना करना पड रहा हैं। इसलिए अपील पेश करना अतिआवश्यक हुआ हैं। असल रैस्पाडैन्ट ने आलोच्य आज्ञा नामांतकरण पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट जो कि पीडित व हितबद्ध पक्षकार हैं, को तलब नही किया गया, ना अपीलाण्ट को कोई सुनवाई अथवा साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया। ऐसी अवस्था में आलोच्य आज्ञा नामांतकरण मनमानी तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ हैं। तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित की हैं। इसलिए निरस्तनीय हैं।

अंत में वकील अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आज्ञा नायब तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राजस्थान दिनांक 25–05–1989 नामान्तकरण विरासत संख्या 89 ग्राम गूगलकोटा तहसील बहरोड हाल नीमराना जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक महीपालसिंह पुत्र श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली बहरोड़ संशोधित कर अपीलाण्ट का नाम सुमन पुत्री देवीसिंह को कलमजन को उसके स्थान पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सुमन पुत्री महीपालसिंह दर्ज व तस्दीक करने का आदेश फरमाया जावें।

पैरोकार सरकार तहसीलदार नीमराना ने अपने पत्रांक भू.अ./न्याया./2024/1586 दिनांक 01.10.2024 में जाहिर किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का गूगलकोटा मृतक महिपालसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत के वारिसान में 1. सुगना पत्नी फौत 2. उम्मेदसिंह पुत्र 3. सत्यवीरसिंह पुत्र 4. सुमन पुत्री व कौशल्या पुत्री अर्थात कुल 05 वारिसान है। नामांतकरण संख्या 89 में कौशल्या का नाम वारिस के रूप में दर्ज नही है एवं अपीलाण्ट सुमन के पिता का नाम नामांतकरण संख्या 89 में देवीसिंह दर्ज है जबकि वास्तविकता में अपीलाण्ट सुमन के पिता का नाम महिपालसिंह है। पैरोकार सरकार ने प्रार्थीया द्वारा की गई नामांतकरण संख्या 89 की अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 पर विचार किया गया। न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र दफा–5 में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इंतकाल संख्या 89 दिनांक 25–05–1989 के द्वारा विरासत का नामांतकरण तस्दीक किया गया है। तहत के रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि नामांतकरण संख्या 89 में अपीलाण्ट सुमन के पिता का नाम देवीसिंह दर्ज है जबकि वास्तविकता में अपीलाण्ट के पिता का नाम महिपालसिंह है। उक्त नामांतकरण में महिपालसिंह की एक वारिस कौशल्या का नाम भी दर्ज नही होना साबित होता हैं, तहत के द्वारा पारित आदेश में पिता का नाम सही दर्ज नहीं होने से एवं विधिवत् वारिसान का नाम दर्ज नहीं होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पुनः प्रतिप्रेषित किए जाने योग्य साबित होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार नीमराना द्वारा इन्तकाल सं0 89 दिनांक 25.05.1989 वाके ग्राम गुगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ के संबंध में पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार नीमराना को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में महिपालसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी गूगलकोटा तहसील नीमराना के विधिवत् वारिसान की जॉच कर नियमानुसार विरासत का नामांतकरण पुनः निर्णित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल रिकार्ड हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़